द्वारा ई–मेल / फैक्स / सर्वोच्च प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)–2015 दिनॉकःदिसम्बर 08,2015

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
5–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषयः उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 30–11–2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण बैच–1997–98 तक के उपनिरीक्षकों की चरित्र पंजिकायें तत्काल अद्यावधिक कराते हुये उनके सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें तैयार कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र–1 एवं उसे भरने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश की प्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने जनपद / इकाई में नियुक्त प्रशिक्षण बैच–1997–98 तक के उपनिरीक्षकों की चरित्र पंजिकायें तत्काल अद्यावधिक कराते हुये उनके सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें तैयार करा लिया जाये, ताकि अल्प समय में सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्र पंजिका एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

08/12

(डॉ0 श्रीपति मिश्र)
पुलिस अधीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2–पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

fujh{kd ukxfjd ifyl ds in ij vui;Dr dk vLohdkj djrs g;s T;"Brk ds vk/kkj ij inksUufr grq p;u ds fy;s ik=rk lwph esa lfEefyr vH;fFkZ;ksa dk lsok fooj.k
Hkrh@fjfDr dk o"k&2005

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडर	वर्तमान तैनाती: जनपद/इकाई	वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र/अनुभाग	भर्ती की तिथि	उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेवा अवधि (परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये) (चयन वर्ष 2005 के लिये): वर्ष	माह	दिन	वार्षिक गोपनीय मंतव्य (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये): वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा (भर्ती/रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये): सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दीर्घ दण्ड– नियम–14(1) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (पदच्युत करना/सेवा से हटाना/वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	लघु दण्ड– नियम–14(2) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	वर्तमान निलम्बन: आदेश संख्या/दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	लम्बित आपराधिक प्रकरण: अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दिनांक	प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच (विभागीय/सीबीसीआईडी/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधि0): जांच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक	अभ्यर्थी के दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग/प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेश: आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	123	802110772	रामकेवल कुशवाहा	भवानी प्रसाद	04–11–1958	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	लखनऊ	लखनऊ	20–09–1982	16–01–1984	21	5	15	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	1–1–95 1–1–96 1–1–97 1–1–98 1–1–99 1–1–00 1–1–01 1–5–01 1–1–02 1–1–03 1–1–04 1–1–05 1–1–06 1–1–07 1–1–08 1–1–09 1–1–10 1–1–11 1–1–12	31–12–95 31–12–96 31–12–97 31–12–98 31–12–99 31–12–00 30–04–01 31–12–01 31–12–02 31–12–03 31–12–04 31–12–05 31–12–06 31–12–07 31–12–08 31–12–09 31–12–10 31–12–11 31–12–12	अति उत्तम उत्कृष्ट उत्कृष्ट अति उत्तम अच्छा अति उत्तम अति उत्तम अच्छा अति उत्तम उत्कृष्ट अच्छा अच्छा प्रतिकूल अति उत्तम अच्छा अच्छा संतोषजनक अति उत्तम उत्तम	– – – – – – – – – – – – 3–2–07 – – – – – –	– – – – – – – – – – – – 18–2–07 – – – – – –	– – – – – – – – – – – – अस्वीकृत – – – – – –	प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित अप्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित	– – – – – – – – – – – – 3–2–07 – – – – – –	– – – – – – – – – – – – 18–2–07 – – – – – –	– – – – – – – – – – – – अस्वीकृत – – – – – –	पीएफ–04/10	9–4–10	2009	01 वर्ष के लिये न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित	25–6–10	अपील अस्वीकृत	1–द–15/04 2–द–78/07 3–द–35/08 4–द–44/10 5–द–59/11	17–8–04 4–4–07 9–5–08 18–9–10 30–5–11	2003 2006 2008 2010 2011	परिनिन्दा अर्थदण्ड परिनिन्दा परिनिन्दा अर्थदण्ड	26–9–04 – – – –	स्वीकृत दि0 4–11–04 – – – –	न–39/13 दि0 30–10–13	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण	234/96 धारा 323/324 आदि थाना–गाजीपुर, लखनऊ	2–2–97	वाद मा0 न्यायालय एडीजे–5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0–399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31–10–13 नियत है।	विभागीय	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	2–10–13	निलम्बन आदेश दि0 30–10–13 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।	मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच रिट याचिका सं0 3570(एस/एस)/2013 दि0 10–11–13
2																																														
3																																														

ukV&

1–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।

2–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

3–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+ Enter का प्रयोग किया जाये।

pfj= ifjtdk fyfid ds gLrk{kj
uke] in] egj

i/kku fyfid ds gLrk{kj
uke] in] egj

{k=kf/kdkjh dk;ky; ds gLrk{kj
uke] in] egj

ofj"B iqfyl v/kh{kd@iqfyl v/kh{kd
uke] in] egj

fu;fDr izkf/kdkjh
iqfyl mi egkfujh{kd
uke] in] egj

बोर्ड प्रपत्र-1 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- **"बोर्ड प्रपत्र-1" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।**

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। **मौलिक नियुक्ति की तिथि-** का आशय अभ्यर्थी के उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12 13 14	**सेवा अवधि-** का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
15 16 17 18	इन कालमों में क्रमश: भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षो के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

सामान्य निर्देश :-

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।

2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।

3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।

4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।